

क्रिम-११५ मीडू तमी वनीप वोलु लमीको
कापनीप इववठ वपिपारी वनेडू


27.06.2019

१०-३०/१६

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2016 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षी क्रम 6/5 के सम्मन प्रोसस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 3 वर्षों से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नहीं है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नहीं गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा